



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082023-248134
CG-DL-E-16082023-248134

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त, 16, 2023/श्रावण 25, 1945

No. 474]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST, 16, 2023/SHRAVANA 25, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 604(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xiii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर संशोधन (सोलहवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 11पकग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“11पकगक धारा 56 की उपधारा 2 के खंड (xiii) के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना-धारा 56 की उपधारा 2 के खंड (xiii) के प्रयोजन के लिए, जहां कोई व्यक्ति किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन किसी पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय पर कोई राशि प्राप्त करता है, तो उस पूर्व वर्ष के दौरान, जिसमें ऐसी राशि प्राप्त की गई है, उक्त खंड के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात्:-

(i) जहां पूर्व वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् पहला पूर्व वर्ष कहा गया है) के दौरान जीवन बीमा पालिसी के अधीन पहली बार कोई राशि प्राप्त की गई है, तो पहले पूर्व वर्ष में कर से प्रभार्य आय की संगणना निम्नलिखित गुणसूत्र के अनुसार की जाएगी,-

क-ख

जहां,-

क= पहले पूर्व वर्ष के दौरान जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त की गई राशि या कुल राशि; और

ख= पहले पूर्व वर्ष में राशि की प्राप्ति की तारीख तक जीवन बीमा पालिसी की अवधि के दौरान संदत्त कुल प्रीमियम, जिसका अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती के रूप में दावा नहीं किया गया है;

(ii) जहां पहले पूर्व वर्ष के पश्चातवर्ती पूर्व वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् पश्चातवर्ती पूर्व वर्ष कहा गया है) के दौरान जीवन बीमा पालिसी के अधीन कोई राशि प्राप्त की गई है, तो पश्चातवर्ती पूर्व वर्ष में कर से प्रभार्य आय की संगणना निम्नलिखित गुणसूत्र के अनुसार की जाएगी,-

ग-घ

जहां,-

ग= पश्चातवर्ती पूर्व वर्ष के दौरान जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त की गई राशि या कुल राशि; और

घ= पश्चातवर्ती पूर्व वर्ष में राशि की प्राप्ति की तारीख तक जीवन बीमा पालिसी की अवधि के दौरान संदत्त कुल प्रीमियम, जो ऐसा प्रीमियम नहीं है जिसका-

(क) अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती के रूप में दावा किया गया है; या

(ख) किन्हीं पूर्व वर्ष या वर्षों में से किसी में इस नियम की रकम 'ख' या रकम 'घ' में सम्मिलित किया गया है।

स्पष्टीकरण:- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त की गई किसी राशि से किसी ऐसी रकम, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जो, -

(क) बीमा पालिसी से सहबद्ध किसी इकाई के अधीन प्राप्त ; या

(ख) धारा 56 की उपधारा(2) के खंड (4) में निर्दिष्ट आय ;

की राशि से भिन्न, ऐसी पालिसी के अधीन प्राप्त की गई है जिसे धारा 10 के खंड(10घ) के उपबंधों के अनुसार पूर्व वर्ष की कुल आय से अपवर्जित नहीं किया जाना है।"

[अधिसूचना सं. 61/2023/फा.सं.370142/28/2023-टीपीएल]

सौरभ जैन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ.969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 595(अ), तारीख 9 अगस्त, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2023

G.S.R. 604(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xiii) of sub-section (2) of section 56, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement: - (1) These rules may be called the Income tax Amendment (Sixteenth Amendment), Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 11UAC, the following rules shall be inserted, namely:—

“11UACA Computation of income chargeable to tax under clause (xiii) of sub-section (2) of section 56. - For the purpose of clause (xiii) of sub-section (2) of section 56, where any person receives at any time during any previous year any sum under a life insurance policy, then, the income chargeable to tax under the said clause during the previous year in which such sum is received shall be computed in the following manner, namely: —

(i) where the sum is received for the first time under the life insurance policy during the previous year (hereinafter referred to as first previous year), the income chargeable to tax in the first previous year shall be computed in accordance with the formula,—

A-B

where, -

A = the sum or aggregate of sum received under the life insurance policy during the first previous year; and

B = the aggregate of the premium paid during the term of the life insurance policy till the date of receipt of the sum in the first previous year that has not been claimed as deduction under any other provision of the Act;

(ii) where the sum is received under the life insurance policy during the previous year subsequent to the first previous year (hereinafter referred to as subsequent previous year), the income chargeable to tax in the subsequent previous year shall be computed in accordance to the formula,—

C-D

where, -

C = the sum or aggregate of sum received under the life insurance policy during the subsequent previous year; and

D = the aggregate of the premium paid during the term of the life insurance policy till the date of receipt of the sum in the subsequent previous year not being premium which –

(a) has been claimed as deduction under any other provision of the Act; or

(b) is included in amount ‘B’ or amount ‘D’ of this rule in any of the previous year or years

Explanation .- For the removal of doubts, it is clarified that the sum received under a life insurance policy would mean any amount, by whatever name called, received under such policy which is not to be excluded from the total income of the previous year in accordance with the provisions of clause (10D) of section 10, other than the sum—

(a) received under a unit linked insurance policy; or

(b) being the income referred to in clause (iv) of sub-section (2) of section 56.”.

[Notification No. 61/2023/ F.No.370142/28/2023-TPL]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 595 (E) dated 9th August, 2023.